सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

23 SHRAWAN 1946 (S)

No. 534

RANCHI WEDNESDAY 14th AUGUST, 2024

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th August, 2024

Notification No.- 02/2024 – State Tax(Rate)

S.O. No. 9, Dated 14th August, 2024--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in Schedule II – 6%, -

(i) after serial number 121 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“121A	4819 10, 4819 20	Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board; or (b) non-corrugated paper or paper board”;

(ii) after serial number 180 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“180A	7310, 7323, 7612, or 7615	Milk cans made of Iron, Steel, or Aluminium”;

(iii) after serial number 183 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"183A	7321 or 8516	Solar cookers";

(iv) against serial number 199, in column (3), after the word "brooders", the words and symbol "; parts thereof" shall be inserted;

(B) in Schedule III – 9%, -

(i) for serial number 153A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: -

"153A	4819 (except 4819 10, 4819 20)	All Goods (other than Cartons, boxes and cases of, – (a) corrugated paper or paper board;or (b) non-corrugated paper or paper board)";

(ii) against serial number 224, after the word "equipment", the words and symbols "; other than Milk cans made of Iron, or Steel " shall be inserted;

(iii) against serial number 235, in column (3), at the end, for the words, "and wood burning stoves of iron or steel", the words, " ,wood burning stoves of iron or steel, and solar cookers" shall be substituted;

(iv) against serial number 273, after the words "boxes, etc.", the words and symbols "; other than Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(v) against serial number 275A, after the words "Utensils", the words and symbol "; Milk cans made of Aluminium" shall be inserted;

(vi) against serial number 378A, in column (3), for the words and symbol "domestic purposes;" , the words, symbol and brackets "domestic purposes [other than solar cookers];" shall be substituted;

(C) after the Schedule VII, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression 'pre-packaged and labelled'.".

2. This notification shall be deemed to be effective from the 15th day of July, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2024]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 1/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 01/2024 – State Tax (Rate), dated the 21st March, 2024, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 1, dated the 21st March, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 02/2024- राज्य कर(दर)

एस. **ओ**. **सं.** 9, **दिनांक 14 अगस्त, 2024--**झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1)और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य कर विभाग-की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस**.** ओ**.** सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II में- 6%,-

(i) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

“12क1	,10 4819 20 4819	कार्टन-बॉक्स और केस जो कि , (क) नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा (ख) गैरनलीदार कागज या पेपर बोर्ड-, से बने हों”;

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

“180क	7310,7323,7612, या 7615	लौह"स्टील या एल्यूमीनियम से बने दूध के केन ,;

(iii) क्रम संख्या 183 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

“18क3	8516 या 7321	सोलर कूकर";

(iv) क्रम संख्या 199 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “शावकित्र” के पश्चात, “उनके पुर्जे” शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III में- 9%,-

(i) क्रम संख्या 153क और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथाः-

“1क53	,10 4819) 4819 (को छोड़कर 20 4819	सभी वस्तुएं -बॉक्स और केस जो कि ,कार्टन) क. नालीदार कागज या पेपर बोर्ड; अथवा ख. गैर नलीदार कागज या-पेपर बोर्ड से बने होंको , (छोड़कर”;

(ii) क्रम संख्या 224 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, "लौह या स्टील से बने दूध के लिए कैन्स को छोड़कर , किसी अन्य सामग्री (सम्पीड़ित या द्रवित गैस से भिन्न) के लिए टंकी , वाल्व, ड्रम के बक्से और समरूप आधान , जिनकी धारिता 3०० लीटर से अधिक नहीं है, चाहे आस्तरित या तापरोधित है या नहीं , किन्तु जिनमे यांत्रिक या तापीय उपस्कर फिट नहीं किये गए हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) क्रम संख्या 235 के समक्ष, कॉलम (3) में, अंत में, "और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों" शब्दों के लिए "वुड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, और सोलर कूकर, से भिन्न हों " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 273 के समक्ष, शब्दों "बॉक्स आदि" के पश्चात ", एल्यूमीनियम से बने दूध के केन को छोड़कर" शब्दों और प्रतीक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 275 क के समक्ष, शब्दों "बर्तनों" के पश्चात, "; एल्यूमीनियम से बने दूध के केन" प्रतीकों और शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 378 क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और प्रतीक "अन्य तापीय साधित्र" के पश्चात, "[सोलर कूकर को छोड़कर]" कोष्ठकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) अनुसूची VII के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।' ।

2 यह अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई, 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2024]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत के झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 1/2024- राज्य कर (दर), दिनांक 21 मार्च, 2024, जिसे एस. ओ. सं. 1, दिनांक 21 मार्च, 2024, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 534 -- 50.